


03.03.2025:-पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी का मूल वादी पत्र अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। मूल वाद पत्र अदम हाजरी खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए में स्थगन आदेश दिनांक 13.10.2020 को वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

